फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

अजयकुमार बनाम लादुराम आदि

किस्म मुकदमा 88 , आर.टी.एक्ट. नम्बर 373/00353 सन–2019

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
10.06.2019	वादी अभिभाषक की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.08.2019 को पेश हो।	
13/8/19	~~वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आदेशानुसार सम्मन पेश नहीं किये वकील वादी को निर्देशित किया अब आवश्यक तौर से सम्मन पेश किये जावे पत्रावली दिनांक 3/9/19 को पेश हो।~~	
3/9/19	पत्रावली पेश हुई श्री ... बी.ओ. ... अन्य कार्य में प्रतिवादीगण तलबी ..... पत्रावली दि० ..... को पेश हो। 4.10.19	
4/10/19	पत्रावली पेश हुई श्री ... बी.ओ. ... कार्य पूर्व दे. सम्मन ..... पत्रावली दि० ..... को पेश हो। 29.11.19	
29/11/19	~~पत्रावली पेश हुई वकील वादी व एक वादी उपस्थित है वादी पु०: वकील वादी व एक वादी को भावज लगवाई गई जिनके वादी या उसका वकील उपस्थित नहीं कर वादी अदम पैरवी अदम तामील में खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पत्रांक इजलास सुनाया गया।~~	

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner